

अप्रैल/April

बुधवार
Wednesday

10 संप्यात्मक तथा स्वकात्मक
सरकारों में अन्तर

(1) स्वकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक केन्द्रीय सरकार होती है और संपूर्ण शासन शक्ति उसी में केन्द्रित रहती है। विभिन्न इकाइयों का आस्तीत्व केन्द्र की इच्छा पर होता है।

गुरुवार
Thursday

11 संप्यात्मक शासन व्यवस्था
में शासन शक्ति केन्द्रीय
तथा विभिन्न प्रांतीय सरकारों में
बँटी रहती है। दोनों का अलग-2
आस्तीत्व रहता है।

(2) स्वकात्मक शासन का संविधान प्रायः अलिखित, विकसित तथा लचीला होता है। संप्यात्मक शासन

अप्रैल/April

अच्छी व्यवस्था है क्योंकि

8

सोमवार
Monday

इसमें जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी एक दल को अपना मतदान दे सकती है। ~~इस~~ लेकिन

इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष

यह है कि शासन पर बहुमत

दल का स्वकार्यकार हो जाता है

तथा मंत्रिमण्डल पर उस दल विशेष

की तानाशाही स्थापित हो जाती है

और संसद की स्थिति

9

मंगलवार
Tuesday

कमजोर पड़ जाती है। बहुदलीय

पद्धति का जहाँ तक प्रश्न है इसका

सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके

अन्तर्गत बनायी गई संयुक्त सरकार

अत्यन्त कमजोर तथा अस्थायी

रहती है।

अप्रैल/April

सोमवार
Monday

15

में संविधान तथा
न्यायपालिका सर्वोच्च होती
है।

(6) शकाल्मक शासन में एक ही
कानून होता है।

संप्रदात्मक शासन में
दोहरा कानून होता है।

(7) शकाल्मक शासन आर्थिक दृष्टि
तथा कम स्वर्चीला होता है।

संप्रदात्मक शासन में
मंगलवार 16 आर्थिक बर्क्य तथा अकुशलता
Tuesday पाई जाती है।

(8) शकाल्मक शासन में संवैधानिक
परिवर्तन के लिये विशेष प्रक्रिया की
आवश्यकता नहीं पड़ती। केन्द्रीय

विधानमण्डल काश्न बनाने के
साधारण तरीके से संविधान में
परिवर्तन या संशोधन कर सकता है।

अप्रैल/April

संघात्मक शासन में

बुधवार

Wednesday

संवैधानिक परिवर्तन के लिये 17 विशेष प्राकृषा की आवश्यकता होती है; क्योंकि संघ-निर्माण के समय विभिन्न राज्य तथा इकाइयाँ पारस्परिक समझौते द्वारा कुद्व अधिकार संघ को दे देते हैं और कुद्व अपने पास रख लेते हैं। यह संतवारा है कि संविधान के आधार पर होता है,

अतः इसे आसानी से बदला

18

गुरुवार

Thursday

नहीं जा सकता।

(9) संघात्मक सरकार में स्वतंत्र और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का रहना आवश्यक नहीं।

संघात्मक शासन

में स्वतंत्र तथा निस्पक्ष सर्वोच्च

न्यायालय का होना परम आवश्यक है।

अप्रैल/April

का संविधान निरखत, निरखत
तथा कठोर होता है।

12

शुक्रवार
Friday

(3) स्वकात्मक शासन में एक शासन
तंत्र तथा एकदरी नागरिकता होती
है। संप्रदात्मक शासन तंत्र दोहरा होता
है जिसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी
कार्यपालिका तथा दो न्यायपालिकाओं
की व्यवस्था होती है।

(4) स्वकात्मक शासन के
कानूनों, न्याय-विधानों और

13

शनिवार
Saturday

प्रशासनिक विधानों में स्वरूपता
रहती है।

संप्रदात्मक शासन के कानूनों,
न्यायविधानों तथा प्रशासनिक विधानों
में विभिन्नता रहती है।

14, रविवार/Sunday

(5) स्वकात्मक शासन में व्यवस्थापिका
सर्वोच्च होती है। संप्रदात्मक शासन

अप्रैल/April

शुक्रवार
Friday

19

(10) केन्द्रीयकरण स्वकात्मक शासन की विशेषता है।
विकेन्द्रीयकरण संप्वात्मक शासन की विशेषता है।

(11) स्वकात्मक सरकार में अधिकारों का विभाजन नहीं रहता। संप्वात्मक शासन में अधिकारों का विभाजन रहता है।

शनिवार
Saturday

20

रविवार/Sunday 21